पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-05 मंगलवार, दिनांक-17 मार्च, 2015 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.07 बजे अपराह्न तक ।

"सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के मा० सदस्यगण बिजली की बढ़ी हुई दर को लेकर अपनी-अपनी सीट पर खड़े हो गए और शोरगुल करने लगे ।

आसन द्वारा विपक्ष के मा० सदस्यों को शांत रहने एवं अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध किया गया तब जाकर सदन में शांति कायम हो सकी ।"

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 15 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न क्रमांक-80 पर्यावरण एवं वन विभाग को स्थानान्तरित ।

(iv) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(v) 08 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्यस्थगन :-

मा० सदस्य श्री प्रेम कुमार एवं श्री तार किशोर प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

"कार्यस्थगन की सूचना अमान्य होते ही नेता, विरोधी दल श्री नन्द किशोर यादव ने राज्य में बिजली की दरों में की गयी वृद्धि पर विरोध जताया एवं विपक्ष के सभी सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आकर खड़े हो गए ।

आसन द्वारा बार-बार उनसे अनुरोध किया गया वे अपनी सीट पर जाएँ । परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

समय 2.00 बजे अप० से 3.32 बजे अप० तक ।

[3] <u>वित्तीय कार्य</u> :-

<u>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखा अनुदान एवं उसपर संशोधन पर विचार-विमर्श एवं मतदान</u> :-

मा० प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखा अनुदान संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इस पर मा० सदस्य डा० अच्युतानंद द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

(मा० अध्यासी सदस्य श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

विचार विमर्श में निम्नांकित मा० सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री रत्नेश सादा
(ii) श्री विजय कुमार सिन्हा
(iii) श्री रमेश ऋषिदेव
(iv) श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा पक्ष रखे जाने के दौरान विपक्ष के मा० सदस्यगण आपत्ति दर्ज करते हुए तथा शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

(मा० अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आसन द्वारा बार-बार मा० सदस्यों से शांत होने एवं अपने सीट पर जाने का अनुरोध किए जाने के बावजूद सदन में शांति कायम नहीं हो सकी एवं सदन की बैठक 4.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

<u>स्थगनोपरांत</u>

समय 4.00 बजे अप० से 5.05 बजे अप० तक ।

स्थगन के पूर्व सदन में हुए अशांति पर मा० सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मा० नेता विरोधी दल, श्री नन्द किशोर यादव एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने-अपने दल के मा० सदस्यों को मर्यादित आचरण करने का अनुरोध किया गया तथा खेद प्रकट किया गया ।

जारी विचार विमर्श पर निम्नांकित मा० सदस्यों ने भाग लिया -

(v) श्री डा० मो० जावेद
(vi) श्री विनय कुमार सिंह
(vii) श्री डा० अरूण कुमार

मा० प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा सरकार की ओर से विचार विमर्श का उत्तर दिया गया ।

मा० सदस्य डा० अच्युतानंद का संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ एवं लेखा अनुदान संबंधी मूल प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[4] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u> - **बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015** :-

मा० प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ एवं विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत विधेयक के विचार के क्रम में विधेयक के सभी अंग बारी-बारी से इसके अंग बने ।

मा० मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के मा० सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए ।

सरकार के उत्तर के उपरांत बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित हुआ ।

[5] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 12 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदुपरांत सदन की बैठक बुधवार दिनांक 18.03.2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-17.03.2015

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।